भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3382
सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक)

ईएसआईसी सुविधाओं का उन्नयन

3382. श्री जगदीश शट्टर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:;

(क) क्या मौजूदा ईएसआईसी लाभार्थियों को दी जा रही सुविधाओं का उन्नयन कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ने का अनुमान है;
(ख) क्या सरकार ने ईएसआईसी की नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है; और
(ग) यदि हां, तो इससे कितनी नई नौकरियों का सृजन होने की संभावना है ?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा अपने लाभार्थियों को प्रदान की जा रही सेवाओं का उन्नयन और सुधार करने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं:

i). ईएसआईसी ने उन स्थानों जहां ईएसआई चिकित्सा सेवाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं, में ईएसआई लाभार्थियों को पीमएजेएवाई पैनलबद्ध अस्तपालों के माध्यम से द्वितीयक और तृतीयक देखभाल चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत- प्रधान मंत्री जन आयोग्य योजना (पीमएजेएवाई) के साथ साझेदारी की है।

ii) स्थायी नि:शक्तता लाभ (पीडीबी)/आश्रितों को लाभ के लिए लाभ की दरों में वृद्धि की गई है।

iii) ईएसआईसी में अंशदान करने वाले परन्तु कवरेज से पहले सेवानिवृत्त होने वाले सेवानिवृत्त लाभार्थियों के लिए चिकित्सा देख-रेख [सुपरस्पेशियलिटि उपचार (एसएसटी) सहित] संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नई योजना अनुमोदित की गई है।

iv) बीमित व्यक्तियों और उनके परिवार के ब्यौरों को अद्यतन/सम्पादित करने के लिए ऑन लाइन मॉड्यूल शुरू किया गया है।

v.) लाभार्थियों को चिकित्सा एवं नकद लाभ सहित सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए बीमित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों का स्वैच्छिक आधार पर आधार से सत्यापन की प्रणाली अपनाई गई है।

VI.) बीमित व्यक्तियों (आईपी)/बीमित महिलाओं (आईडब्ल्यू) को निर्बाध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ईएसआई योजना के तहत नकद लाभ दावे प्रस्तुत करने हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल/सुविधा आरम्भ की गई है।

उपरोक्त उन्नयन से ईएसआई लाभार्थियों की चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं को कारगर एवं प्रभावपूर्ण रूप से पूरा करने में सहायता मिलेगी ।

(ख) और (ग): ईएसआई अस्पतालों/औषधालयों की स्थापना करना एक निरंतर प्रक्रिया है। ईएसआई निगम किसी क्षेत्र विशेष में कतिपय मानकों/बीमित व्यक्तियों की जनसंख्या के आधार पर नए ईएसआई अस्पतालों /औषधालयों की स्थापना का अनुमोदन प्रदान करता है। ईएसआई अस्पतालों में एचआर मानकों के अनुसार रिक्तियों का सृजन होता है जो अस्पताल की बिस्तर संख्या पर आधारित होती है।

****